


छत्तीसगढ़ शासन  
नागरिक कर विभाग  
अंचालय, महानदी भवन, नया रायपुर  
अधिसूचना सं. 6/2017- राज्य कर (दा)  
नया रायपुर, दिनांक : 28.06.2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(74) - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, नया अंचालय के अधीन कैंटीन स्टोर बिमार्लैंड (जिसे इससे इसके पश्चात सीएसडी कहा गया है) को, ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो इसके द्वारा गे-से माल की सीएसडी कैंटीन की सुविधा ल कैंटीन या सीएसडी कैंटीन के भाषिकृत उममीकताओं के लिए गे-से माल की पश्चातवर्ती पूर्ति के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा प्राप्त माल की सभी आवक पूर्ति पर संदत्त लागू राज्य कर के पर्याप्त प्रतिशत के हतिवाम के दावे को करने का हकदार होगा, विनिर्दिष्ट करती है।

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,




(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 28.06.2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(74), दिनांक 28.06.2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, पत्रद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

**Government of Chhattisgarh**  
**Commercial Tax Department**  
**Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur**

Notification No.6/2017- State Tax (Rate)

Naya Raipur, dated : 28.06.2017

No. F-10- 43/2017/CT/V (74) - In exercise of the powers conferred by section 55 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the Canteen Stores Department (hereinafter referred to as the CSD), under the Ministry of Defence, as a person who shall be entitled to claim a refund of fifty per cent. of the applicable state tax paid by it on all inward supplies of goods received by it for the purposes of subsequent supply of such goods to the Unit Run Canteens of the CSD or to the authorized customers of the CSD.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,



(A.P. Tripathi)  
Special Secretary